



2026:AHC-LKO:17064-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

विशेष अपील सं. - 221/2024

अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, रजिस्ट्रार के माध्यम से

.....अपीलकर्ता (गण)

बनाम

बाबा एजुकेशनल सोसाइटी, लखनऊ, सचिव राजेश कुमार वाजपेयी के माध्यम से और
एक अन्य

..... प्रतिवादी (गण)

अपीलकर्ता (गण) के अधिवक्ता

: ज्ञानेंद्र कुमार श्रीवास्तव,

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता

: रवि प्रकाश मिश्र, अभिनव त्रिवेदी, सी.एस.सी.

न्यायालय सं. - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन राय

माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी

(1) अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री ज्ञानेंद्र कुमार श्रीवास्तव और प्रतिवादियों के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस.सी. मिश्रा की दलीलें सुनी गईं।

(2) यह विश्वविद्यालय द्वारा दखिल एक अपील है, जिसमें रिट न्यायालय द्वारा रिट-सी सं. 7335/2024 [बाबा एजु. सोसाइटी, लखनऊ सचिव राजेश कुमार वाजपेयी के माध्यम से बनाम उत्तर प्रदेश राज्य] में दिनांक 31.08.2024 को पारित आदेश को चुनौती दी गई है। विवादित आदेश इस प्रकार है:-

1. प्रतिवादी विश्वविद्यालय के विद्वान अधिवक्ता, श्री ज्ञानेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने निर्देशों के आधार पर इस न्यायालय को सूचित किया है कि शैक्षणिक सत्र 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए याचिकाकर्ता-संस्थान को केवल महिला उम्मीदवार ही आवंटित की गई थीं। उन्होंने आगे यह भी कहा कि इस वर्ष, अर्थात् शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए, पुरुष उम्मीदवार आवंटित किए गए हैं। उन्होंने आगे यह भी कहा कि याचिकाकर्ता को महिला उम्मीदवार आवंटित करना आरक्षण के समान होगा, जिसकी अनुमति 'अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2018' की धारा 8 के अनुसार नहीं है।

2. उपरोक्त दलीलों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि, चूंकि समान तथ्यों और समान विधिक प्रावधानों के अंतर्गत, प्रतिवादी विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए याचिकाकर्ता-संस्थान को केवल महिला उम्मीदवारों को ही आवंटित किया था, और इसलिए, परिस्थितियों में बिना किसी परिवर्तन के, प्रतिवादी विश्वविद्यालय के पास शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए याचिकाकर्ता-संस्थान को छात्रों के आवंटन के



प्रतिरूप को बदलने का कोई कारण नहीं है। तदनुसार, शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए भी, प्रतिवादी विश्वविद्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह याचिकाकर्ता-संस्थान को केवल महिला उम्मीदवारों को ही आवंटित करे, जैसा कि वे पहले करते आ रहे हैं।

3. प्रतिवादी विश्वविद्यालय के विद्वान अधिवक्ता ने प्रति शपथपत्र दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा है, और उन्हें यह समय प्रदान किया जाता है।

4. यदि कोई प्रति शपथपत्र हो, तो उसे उसके एक सप्ताह के भीतर दाखिल किया जा सकता है।

5. इस वाद को दिनांक 4.10.2024 को सूचीबद्ध किया जाए।

(3) दिनांक 14.11.2025 के हमारे आदेश द्वारा, हमने विवादित आदेश पर रोक लगा दी थी, और वह आदेश इस प्रकार है:-

हमने अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री ज्ञानेंद्र कुमार श्रीवास्तव, तथा प्रतिवादी सं. 1 और 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री रवि प्रकाश मिश्रा और श्री अभिनव त्रिपाठी को सुना।



हमने इस अपील में पारित पूर्व आदेश का अवलोकन किया है। प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रवि प्रकाश मिश्रा ने बताया कि विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस.सी. मिश्रा को इस मामले पर बहस करनी है, परंतु वे आज उपलब्ध नहीं हैं।

यह मामला बार-बार सूचीबद्ध किया जा रहा है।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपील में बताए गए विभिन्न कारणों से मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की है, इनमें से एक कारण यह है कि 21 पुरुष छात्रों को काउंसलिंग के बाद प्रवेश देने के बाद, अब विवादित आदेश के मद्देनजर प्रतिवादी संस्थान सिर्फ महिला छात्राओं को ही प्रवेश देने पर अड़ा हुआ है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, विश्वविद्यालय लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकत ॥ यह विवादित आदेश पहले ही दिन, बिना कोई प्रति शपथपत्र मांगे ही पारित कर दिया गया है। अंतरिम चरण में ही अंतिम अनुतोष प्रदान कर दिया गया है।

तदनुसार, हम रिट याचिका सं. 7335/2024 में दिनांक 31.08.2024 को पारित विवादित आदेश पर रोक लगाते हैं। संस्थान, आगे के आदेशों के अधीन, पूर्व में आयोजित काउंसलिंग के अनुसार छात्रों को प्रवेश देगा।

हम इस मामले की अंतिम सुनवाई करना चाहते थे, लेकिन अधिवक्ता के उपलब्ध न होने के कारण ऐसा करना संभव नहीं हो सका, साथ ही, हमें प्रथम दृष्टया यह भी प्रतीत होता है कि पहले ही दिन इस प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता था। अतः, हमने तदनुसार यह अंतरिम आदेश पारित किया है। इस वाद को दिनांक 2.12.2025 को सूचीबद्ध किया जाए, जैसा कि प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता श्री रवि प्रकाश मिश्रा द्वारा अनुरोध किया गया है।

(4) विश्वविद्यालय द्वारा एक निरीक्षण किया गया था और उसका परिणाम सितंबर, 2024 में दखिल एक शपथपत्र में उल्लिखित है, जो अभिलेख पर उपलब्ध है।

(5) प्रतिवादी-संस्थान पूर्व में नर्सिंग महाविद्यालय चलाने के उद्देश्य से राम मनोहर लोहिया फैजाबाद विश्वविद्यालय से सम्बद्ध था। यह दावा किया गया है कि निरीक्षण के बाद से, महाविद्यालय सिर्फ महिला छात्राओं को ही प्रवेश दे रहा है, जैसा कि संस्थान चलाने वाली समिति द्वारा पास किए गए प्रस्ताव में निर्धारित किया गया था, और इसमें पुरुष छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधाएँ नहीं हैं, इसलिए, अपीलकर्ता विश्वविद्यालय शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए पुरुष छात्रों के प्रवेश पर जोर नहीं दे सकती।

(6) अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम 2018 (जिसे आगे 'एक्ट, 2018' कहा गया है) दिनांक 22.12.2018 को लागू हुआ। इसकी धारा 7 के अनुसार निर्धारित तिथि से, चिकित्सा विज्ञान के वे सभी महाविद्यालय और संस्थान,

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जिन्हें पहले किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ, या उत्तर प्रदेश चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा, या शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, या उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अंतर्गत बनाए गए किसी भी राज्य विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार मिले हुए थे या उनसे सम्बद्ध थे, उन्हें अब अटल बिहारी विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार मिले हुए या उससे सम्बद्ध माना जाएगा, जिसे उक्त अधिनियम, 2018 द्वारा स्थापित किया गया था। इसलिए, प्रतिवादी संस्थान को अधिनियम, 2018 के लागू होने के समय से ही अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय जो यहाँ अपीलकर्ता पक्ष है से सम्बद्ध माना जाता है।

(7) प्रतिवादी-संस्थान का दावा है कि उक्त मानद संबद्धता मिलने के बाद भी, चार वर्षों तक अर्थात् 2021 से आगे केवल छात्राओं को ही प्रवेश दिया गया। यद्यपि, शैक्षणिक सत्र 2024-2025 के लिए, पहली बार विश्वविद्यालय ने प्रतिवादी-संस्थान से छात्रों को भी प्रवेश देने के लिए कहा, लेकिन उपरोक्त कारणों से ऐसा करना संभव नहीं हो पाया।

(8) हमारे समक्ष अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क यह है कि अधिनियम, 2018 की धारा 8 के प्रावधानों को देखते हुए, विश्वविद्यालय सभी व्यक्तियों के लिए चाहे उनकी जाति, वर्ग, पंथ या लिंग कुछ भी हो खुला रहेगा; बशर्ते कि विश्वविद्यालय- (i) विश्वविद्यालय के अध्ययन पाठ्यक्रमों में प्रवेश की पात्रता को प्रतिबंधित कर सकता है; (ii) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, छात्राओं और अन्य श्रेणियों के पक्ष में, उस समय लागू किसी भी विधि या सरकारी आदेशों के अनुसार, आरक्षण

की व्यवस्था कर सकता है। उनका निवेदन है कि अधिनियम, 2018 की धारा 8 के अंतर्गत विश्वविद्यालय का ऐसा कोई आदेश उपलब्ध नहीं है, जो प्रतिवादी-संस्थान द्वारा संचालित नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश के मामले में जो कि इस अपील का मुख्य विषय है छात्राओं के लिए शत प्रतिशत आरक्षण की अनुमति देता हो, अतः, प्रतिवादी-संस्थान यह दावा नहीं कर सकती कि वह केवल छात्राओं को ही प्रवेश देगी।

(9) जैसा कि अपीलकर्ता ने बताया है, काउंसलिंग की प्रक्रिया मई-जून में हुई थी और उसके बाद अगस्त में, प्रतिवादी-संस्थान ने उपरोक्त गई रिट याचिका दखिल की, जिसमें अपीलकर्ता को पुरुष छात्रों को प्रवेश देने पर ज़ोर न देने के लिए परमादेश रिट जारी करने की मांग की गई थी। अपीलकर्ता का पक्ष यह है कि तब तक पुरुष छात्र काउंसलिंग में शामिल हो चुके थे और उन्होंने प्रतिवादी-संस्थान को चुन लिया था। प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और शुल्क भी जमा हो गया था। फिर भी उसके बाद, अर्थात् दिनांक 31.08.2024 को, प्रवेश पा चुके छात्रों की बात सुने बिना और उन्हें विरोधी पक्ष के रूप में शामिल किए बिना, केवल उपरोक्त वर्णित पूर्व प्रथा के आधार पर एक अंतरिम आदेश पारित किया गया, इस आदेश में अधिनियम, 2018 की धारा 8 के उद्देश्य, महत्व और प्रभाव पर विचार नहीं किया गया था, और इस अंतरिम आदेश के माध्यम से ही अंतिम अनुतोष प्रदान कर दिया गया।

(10) उपरोक्त परिस्थितियों में हमने वह अंतरिम आदेश पारित किया था, जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। अब, तथ्य वास्तविक बात यह है कि उक्त अंतरिम आदेश पारित

होने के बाद, जिन 21 पुरुष छात्रों को प्रवेश दिया गया था, वे अपना अध्ययन जारी रखे हुए हैं और चार वर्ष के कुल पाठ्यक्रम में से लगभग दो वर्ष का अध्ययन पूरा कर चुके हैं।

(11) बहस के दौरान, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने हमारा ध्यान अधिनियम, 2018 की धारा 25 की ओर भी दिलाया, जिसमें एक प्रवेश समिति का संदर्भ है विशेष रूप से उसकी उपधारा 3 की ओर। इसके अनुसार, अकादमिक परिषद के पर्यवेक्षण और उप धारा (5) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, प्रवेश समिति विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश की नीति को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत या मानदंड निर्धारित करेगी। उन्होंने हमारा ध्यान धारा 25(4) की ओर भी दिलाया और इस संदर्भ में, शैक्षणिक सत्र 2024-2025 से संबंधित प्रवेश समिति के दिनांक 29.05.2024 के एक प्रस्ताव का हवाला देते हुए यह तर्क दिया कि उक्त प्रस्ताव के अनुसार भी, प्रतिवादी-संस्थान को नर्सिंग पाठ्यक्रम में जिसके लिए उसे विश्वविद्यालय से संबद्ध माना जाता है केवल महिला छात्राओं को प्रवेश देने का कोई अधिकार नहीं है।

(12) दूसरी ओर, प्रतिवादी-संस्थान के विद्वान अधिवक्ता ने धारा 25(5) का हवाला दिया, जिसके अनुसार, उक्त अधिनियम, 2018 के किसी अन्य प्रावधान में इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध महाविद्यालयों (अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर) में किसी भी अध्ययन पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों, महिला छात्रों, दिव्यांग



छात्रों और अन्य श्रेणियों से संबंधित छात्रों के लिए सीटों का आरक्षण, किसी भी विधि या आदेशों के अनुसार, सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किए गए आदेशों द्वारा किया और विनियमित किया जा सकता है।

(13) उन्होंने हमारा ध्यान उच्च न्यायालय द्वारा रिट-सी सं. 5979/2025 में दिनांक 15.07.2025 को पारित एक आदेश की ओर दिलाया, जिसे दिनांक 17.07.2025 को संशोधित किया गया था, यह आदेश शैक्षणिक सत्र 2025-2026 से संबंधित था, उन्होंने तर्क दिया कि इस अभ्यावेदन के आधार पर, राज्य सरकार ने दिनांक 24.07.2025 को एक आदेश पारित किया है। इस आदेश में, शैक्षणिक सत्र 2025-26 से संबंधित रिट-सी सं. 5979/2025 में पारित आदेशों के साथ-साथ रिट-सी सं. 7335/2024 और इस अपील एसपीएलए सं. 221/2024 में पारित आदेशों पर विचार करने के बाद, यह राय व्यक्त की गई है कि न्यायालय के आदेशों के क्रियान्वयन के संबंध में स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। इसलिए, विश्वविद्यालय को स्वयं यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रतिवादी-संस्थान को महिला उम्मीदवारों के लिए सीटों के आवंटन के संबंध में उचित कार्रवाई की जाए। यह आदेश वर्ष 2025-26 से संबंधित है, जिससे इस अपील से हमारा कोई संबंध नहीं है।

(14) यह अपील एक रिट याचिका से संबंधित है, जो केवल वर्ष 2024-2025 से संबंधित है, न कि उसके बाद के वर्षों से। तथापि, मुख्य प्रश्न यह बना हुआ है कि क्या प्रतिवादी-



संस्थान उस नर्सिंग पाठ्यक्रम में, जिसके लिए वह अपीलार्थी-विश्वविद्यालय से संबद्ध है, केवल छात्राओं को प्रवेश देने का अधिकार है।

(15) विश्वविद्यालय द्वारा पारित किसी भी आदेश को प्रस्तुत करने के लिए कहे जाने पर चाहे वह धारा 8 के अंतर्गत हो या अन्यथा जो प्रतिवादी-संस्थान को केवल महिला छात्राओं को प्रवेश देने की अनुमति देता हो भले ही यह अगले शैक्षणिक सत्र, अर्थात् 2025-26 के लिए ही क्यों न हो, ऐसा कोई भी आदेश प्रस्तुत नहीं किया जा सका। वास्तव में, हमने पाया कि न तो विश्वविद्यालय का कोई ऐसा आदेश है जो धारा 8 के अंतर्गत हो और जिसमें संबंधित नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश केवल महिला छात्रों तक ही सीमित किया गया हो जिसका अर्थ यह होता कि प्रतिवादी-संस्थान में शत प्रतिशत प्रवेश महिला छात्राओं को ही दिया गया हो और न ही हमें अधिनियम, 2018 की धारा 25 की उप-धारा 5 के अंतर्गत राज्य सरकार का कोई ऐसा आदेश मिला, जो महिला छात्रों के लिए शत आरक्षण का प्रावधान करता हो। शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है। प्रतिवादी-संस्थान ने 21 पुरुष छात्रों को प्रवेश दिया है, जो परिसर में नहीं रह रहे हैं इसका कारण प्रतिवादी-संस्थान द्वारा यह बताया गया है कि पुरुष छात्रों के लिए पर्याप्त छात्रावास सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए वे परिसर के बाहर रह रहे हैं और बिना किसी आपत्ति के अध्ययन पढ़ाई कर रहे हैं। वर्ष 2025-26 के संबंध में जो कि वास्तव में इस अपील का मुद्दा भी नहीं है इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि प्रतिवादी-संस्थान द्वारा पुरुष छात्रों को प्रवेश दिया गया है और वे भी अध्ययन कर रहे हैं। शैक्षणिक सत्र 2025-26 भी समाप्त हो चुका है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(16) इस संदर्भ में, श्री एस.सी. मिश्रा, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने भारतीय नर्सिंग परिषद (बी.एससी. (नर्सिंग पाठ्यक्रम) के लिए संशोधित विनियम और पाठ्यक्रम, विनियम, 2020 (संक्षेप में 'विनियम, 2020') का हवाला दिया और 'छात्रावास भवन' शीर्षक के अंतर्गत, नर्सिंग महाविद्यालय के उल्लिखित निर्मित क्षेत्र के अतिरिक्त, छात्रों और कर्मचारियों के लिए पर्याप्त छात्रावास/आवासीय आवास उपलब्ध होना चाहिए। उन्होंने विनियमों के 'छात्रावास भवन' शीर्षक के अंतर्गत दिए गए एक नोट पर जोर दिया, जिसके अनुसार, संस्थान के लिए कुल छात्र प्रवेश क्षमता के 30% छात्रों हेतु छात्रावास आवास का न्यूनतम प्रावधान अनिवार्य है। उपरोक्त प्रावधान का हवाला देते हुए यह तर्क दिया गया कि पुरुष छात्रों के लिए कोई छात्रावास सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं और इसी कारण से, उन्हें पुरुष छात्रों को प्रवेश देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

(17) इस संदर्भ में, पूछे जाने पर यह सुचित किया गया है कि शैक्षणिक सत्र 2024-2025 के लिए, नर्सिंग पाठ्यक्रम में कुल 139 छात्रों में से, 60 छात्राएँ छात्रावास में रह रही हैं और परिसर के बाहर रह रही हैं, तथा सभी 21 छात्र परिसर के बाहर रह रहे हैं। इसी प्रकार, शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए, कुल 140 छात्रों में से, 80 छात्राएँ छात्रावास में रह रही हैं, अन्य परिसर के बाहर रह रही हैं, और सभी 23 छात्र परिसर के बाहर रह रहे हैं। इसलिए, ऊपर उल्लिखित 'विनियम, 2020' में बताई गई शर्तें पूरी होती हैं। विनियमों में ऐसी कोई शर्त नहीं है कि नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले सभी छात्रों को परिसर

के भीतर स्थित छात्रावास में ही रहना अनिवार्य हो, और न ही हमें ऐसी कोई शर्त दिखाई गई है।

(18) वास्तव में, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री ज्ञानेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि यह अनिवार्य नहीं है कि नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक छात्र को अनिवार्य रूप से छात्रावास की सुविधा प्रदान की जाए। वस्तुतः, जैसा कि स्वीकार किया गया है, कई छात्राएँ भी नर्सिंग पाठ्यक्रम करते समय परिसर के बाहर ही रह रही हैं; इसलिए, छात्रावास की सुविधाओं को छात्राओं के लिए शत-प्रतिशत आरक्षण का दावा करने का आधार नहीं बनाया जा सकता।

(19) हमने 2018 से पूर्व फैजाबाद स्थित पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय के साथ प्रतिवादी के संबद्धता आदेश की जांच की है, और हमें उसमें ऐसी कोई शर्त नहीं मिली कि यह संबद्धता नर्सिंग पाठ्यक्रम में केवल छात्राओं के लिए ही दी गई थी, यद्यपि, श्री एस.सी. मिश्रा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, का कहना है कि पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय ने संबद्धता के बाद नए छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति दी थी। इसके बाद, 2018 का अधिनियम लागू हो गया है, इसलिए, उठाए गए मुद्दे को इसके प्रावधानों के आलोक में देखा जाना चाहिए।

(20) जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, विश्वविद्यालय का कोई ऐसा आदेश नहीं है जो धारा 8 के अंतर्गत हो, या राज्य सरकार का कोई ऐसा आदेश नहीं है जो धारा 25(5) के अंतर्गत हो, जो नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश के मामले में छात्राओं के लिए शत प्रतिशत आरक्षण की अनुमति देता हो, यही इस मामले का मुख्य विवादक है। क्या ऐसा कोई

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आदेश कभी पारित किया जा सकता है, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसमें हम इन कार्यवाहियों के दौरान नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि ये कार्यवाहियां केवल वर्ष 2024-25 से संबंधित हैं। यह विवादक विश्वविद्यालय या राज्य सरकार द्वारा, अधिनियम 2018 के प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत, जब भी अवसर आए, विचार के लिए खुला है। यदि प्रतिवादी-संस्थान उक्त प्रावधानों के अंतर्गत विश्वविद्यालय या राज्य सरकार के समक्ष कोई आवेदन प्रस्तुत कर सकती है, तो उसे ऐसा करने की भी पूरी स्वतंत्रता है, ऐसे आवेदन पर विधि के अनुसार हमेशा विचार किया जा सकता है। लेकिन, जहाँ तक इन कार्यवाहियों का संबंध है, शैक्षणिक सत्र 2024-2025 के लिए विश्वविद्यालय या राज्य सरकार का कोई ऐसा आदेश उपलब्ध नहीं है जो विचाराधीन नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश को पूरी तरह से छात्राओं तक सीमित करता हो, या इस मामले में उनके लिए शत प्रतिशत आरक्षण की अनुमति देता हो। ऐसी स्थिति में, हमारी समझ में यह नहीं आता कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने, अंतरिम चरण में ही, अधिनियम 2018 के प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लेख किए बिना, इस प्रकार का अंतिम अनुतोष कैसे प्रदान कर दिया। सामान्य परिस्थितियों में, हम इस मामले को नए सिरे से निर्णय लेने के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश के पास वापस भेज देते, परंतु इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि शैक्षणिक सत्र 2024-2025 के लिए प्रवेश पहले ही हो चुके हैं, और उपरोक्त वर्णित तथ्यात्मक तथा विधिक स्थिति को देखते हुए, हमें ऐसा करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता। इसके विपरीत, हम इस रिट याचिका और इस विशेष अपील का **निस्तारण** उपरोक्त कथनों के अनुरूप ही करते हैं। विश्वविद्यालय या राज्य सरकार को अधिनियम 2018 की धारा 8 अथवा धारा 25(5) के अंतर्गत कोई भी निर्णय लेने की पूर्ण स्वतंत्रता है; और यदि प्रतिवादी-महाविद्यालय द्वारा कोई ऐसा आवेदन प्रस्तुत



किया जाता है जो अन्यथा स्वीकार्य है, तो नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश की प्रक्रिया शीघ्र ही प्रारंभ होने वाली है, इसे ध्यान में रखते हुए विधि के अनुसार विचार किया जाएगा।

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन राय)

9 मार्च 2026

शान्/-

Translated Version. Not for Legal Use.